

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## एकल स्रोत निविदा सूचना

NIT No. HC/SK/Procurement/2025-26 / 49

Date 07.03.2026

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय के उपयोगार्थ Newsletter Printing Work and Supply कार्य फर्म M/s. Classified Printer, Jaipur से करने के क्रम में दरों के सम्बन्ध में मुहरबन्द निविदा दिनांक 13.03.2026 दोपहर 01.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें <http://www.hcraj.nic.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। (अनुमानित मूल्य रुपये 1,64,640 / -)

आज्ञा से,  
*Perita*  
07/03/26

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण-11),  
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

(Tender form for Printing & Supply of News Letter for month of January 2026)  
:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

### निविदा जारी करने वाले का नाम एवं निविदा का विवरण

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज०), फोन: 0291-2888500-04, 0291-2888385 (स्टोर अनुभाग) फैक्स: 0291-2888080, ईमेल - hc-rj@nic.in
2. निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भर कर दिनांक 13.03.2026 दोपहर 01.30 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।
3. उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में करने के साथ विभाग की अधिकृत वेबसाइट <http://hcraj.nic.in> एवं राज्य सरकार की वेबसाइट <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर किया जायेगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र को निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर कार्यालय में जमा करवाना होगा।

### A. कार्य की गुणवत्ता एवं विवरण

1. कोर्ट न्यूज लेटर हेतु Manuscript एवं नमूना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। न्यूजलेटर के छपने के बाद उसकी Soft Copy को DVD अथवा Pendrive में कवर पेज सहित यानि पेज एक से अंत तक (पूरा न्यूजलेटर) इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा।
2. मुद्रित किये जाने वाले कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिण्टेड लिफाफा का ले-आउट और डिजाइन उच्च एवं अच्छे स्तर को होना चाहिये। मुद्रित किये जाने वाले कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिण्टेड लिफाफा का ले-आउट और डिजाइन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमोदित करवाना होगा।
3. कोर्ट न्यूजलेटर मय प्रिण्टेड लिफाफा की साईज, पेपर का प्रकार, कलर फोटोग्राफ में प्रयोग में ली जानी वाली स्याही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से अनुमोदन करवाने के पश्चात ही कोर्ट न्यूज लेटर का मुद्रण एवं सप्लाई तदनुरूप होनी चाहिए।
4. न्यूज लेटर मय प्रिण्टेड लिफाफा की अनुमानित प्रतियों एवं पृष्ठों की संख्या में कमी या वृद्धि का सम्पूर्ण अधिकार कार्यालय के पास रहेगा।
5. न्यूज लेटर मय प्रिण्टेड लिफाफा को पूर्ण रूप से तैयार कर उसकी सप्लाई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को निर्धारित समय में करनी होगी।
6. निविदा में वर्णित कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री के नमूने, वांछित गुणवत्ता इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय द्वारा मुद्रित किये जाने वाले कोर्ट न्यूज लेटर की Manuscript/Soft Copy उपलब्ध करवाई जायेगी जिसकी प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर मुद्रित कोर्ट न्यूज लेटर की नमूना कॉपी कार्यालय में उपलब्ध करवाई जानी आवश्यक होगी जो कार्यालय द्वारा प्रूफ रीडिंग के पश्चात लौटाने की तारीख से 45 दिवस के भीतर मुद्रित कर कार्यालय में स्वयं के खर्च पर उपलब्ध करवानी होगी।

दिनांक :  
स्थान :



हस्ताक्षर निविदादाता  
मय पता सील मोहर

## B. प्रतिभूति राशि


- सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के पश्चात 2 दिवस के भीतर Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के नियम 75 के प्रावधानों की अनुपालना में कार्यादेश मूल्य की 5 प्रतिशत राशि नकद/ बैंक गारण्टी/डी.डी. प्रतिभूति राशि के रूप में रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में एक अनुबन्ध पत्र भी प्रस्तुत करना होगा

## C. सामान्य नियम, शर्तें एवं भुगतान

निविदा हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगे।

1. निविदा प्रपत्र में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा में वर्णित दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। निविदा प्रपत्र व सभी संलग्नकों के सभी पृष्ठों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करने होंगे तथा काँट-छाँट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरे पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दरों में सामान को निर्दिष्ट स्थान/भण्डारगृह पर पहुँचाने का खर्चा (Handling Charges) भी सम्मिलित होगा।
3. क्रय समिति को गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति निविदादाता को नियमानुसार Negotiation के लिये आमंत्रित कर सकती है। इसके बावजूद दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा प्रस्तुत नमूना वाँछित गुणवत्ता का न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है जिसके लिए निविदादाता को कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
4. सम्बन्धित फर्म को सप्लाई आदेश का कार्य कार्यालय आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर पूर्ण करना होगा। उक्त अवधि में आदेशानुसार सामान की सप्लाई नहीं की जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। निविदा में वर्णित दरों के सम्बन्ध में बाजार में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
5. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। सन्तोषप्रद सप्लाई के पश्चात ही भुगतान देय होगा। प्रत्येक सप्लाई आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वाँछित गुणवत्ता/ निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप एक साथ करनी होगी।
6. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा।
7. उक्त कार्य सम्पादन/आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कोई जिम्मेवारी इस कार्यालय की होगी।
8. निविदा को किसी स्तर पर रद्द करने का अधिकार रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में निहित रहेगा। न्यूनतम दरें स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। निविदा से सम्बन्धित विवाद का न्यायक्षेत्र जोधपुर होगा।
9. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। संतोषप्रद आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान देय होगा।
10. उक्त निविदा के क्रम में समस्त, सर्वोच्च एवं अंतिम वैधानिक अधिकारी माननीय क्रय समिति/कार्यालय का होगा एवं यह निर्णय सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी रहेगा तथा निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार समक्ष अधिकारी में निहित होगा।
11. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के General Financial and Accounts Rules, Transparency in Public Procurement Act, 2012 एवं Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधान भी लागू होंगे।

दिनांक :  
स्थान :



हस्ताक्षर निविदादाता  
मय पता सील मोहर